रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092021-229886
CG-DL-E-23092021-229886

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 404] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 22, 2021/भाद्र 31, 1943
No. 404] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 22, 2021/BHADRA 31, 1943

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2021

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्रतिभूतियों का अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2021

फा. सं.पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/10.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ङ), (ढ), (ण) ,खंड (त) और खंड (ब) के साथ पठित उसकी उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद् द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्रतिभूतियों का अभिरक्षक) विनियम, 2015 में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता है, नामत: -

1. इन विनियमों का नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्रतिभूतियों का अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2021 है।

2. यह विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्रतिभूतियों का अभिरक्षक) विनियम, 2015 में:-

   (I) विनियम 8 के उप-विनियम (1) के खंड (ख) के बाद निम्नलिखित प्रावधान को जोड़ा जाएगा –

   "परन्तु, यह कि एक ही समूह में जहां एक पेंशन निधि का प्रायोजक, न्यासी बैंक या केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी या उनके सहयोगी, एक अभिरक्षक की शेयर पूंजी के 50 प्रतिशत या अधिक का मताधिकार रखते हैं, वे प्राधिकरण के साथ अभिरक्षक बनने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन कर सकते हैं:

i. *प्रायोजक, सहयोगी या नियंत्री कंपनी, जैसा भी हो, के पास हर समय 50,000 करोड़ रूपये की परिसंपत्ति होनी चाहिए ;*

ii. *अभिरक्षक के 50 प्रतिशत या अधिक निदेशक वे होंगे जो प्रायोजक कंपनी या उसके सहयोगियों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं ;*

iii. *न तो अभिरक्षक और न ही पेंशन निधि कंपनी एक दूसरे की समनुषंगी कंपनी होगी;*

iv. *कोई भी व्यक्ति अभिरक्षक और पेंशन निधि कंपनी दोनों का निदेशक नहीं होगा; और*

v. *अभिरक्षक और पेंशन निधि कंपनी एक वचनबद्धता पर हस्ताक्षर करेंगे कि वे एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे ।*

स्पष्टीकरण – *इस प्रावधान के प्रयोजन के लिए "नियंत्री कंपनी" पद का अर्थ वही होगा जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(46) में दिया गया है[अधिनियम संख्या 2013 का 18]*

(II) विनियम 8 (1)(ग) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा -

"आवेदन की तिथि पर आवेदक के अभिरक्षण के अधीन संपत्तियों की न्यूनतम धारिता चयन प्रक्रिया के तहत परिभाषित की जाएगी ।"

सुप्रतिम बन्दोपाध्याय, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./267/2021-22]

पादलेख:

1. मूल विनियम, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्रतिभूतियों का अभिरक्षक) विनियम, 2015, भारत के राजपत्र में 14 मई 2015 को, अधिसूचना सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/10 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे ।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2021

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (CUSTODIAN OF SECURITIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

F. No. PFRDA/12/RGL/139/10.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 52 read with clauses (e), (n), (o), (p) and (w) of sub-section (2) thereof of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Custodian of Securities) Regulations, 2015 namely, -

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 2021.

2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Custodian of Securities) Regulations, 2015: -

(I). After clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 8, the following proviso shall be inserted-

"Provided that in the same group where the sponsor of a Pension Fund, Trustee Bank or central record keeping agency or their associates, are holding 50 percent or more of the voting rights of the share capital of a custodian, it can apply to become Custodian with the Authority under following conditions:

(i) the sponsor, associates or the holding company, as the case may be, should have net worth of at least Rs.50,000 crore at all points of time;

(ii) 50 per cent or more of the directors of the custodian shall be those who do not represent the interests of the sponsor or its associates;

(iii) neither the custodian nor the pension fund company shall be a subsidiary of each other;

(iv) no person shall be a director of both the custodian and the pension fund company; and

(v) the custodian and the pension fund company shall sign an undertaking that they will act independently of each other in their dealings with the schemes.

***Explanation** - For the purpose of this proviso the expression "holding company" shall have the meaning as provided in Section 2(46) of the Companies Act, 2013[Act No.18 of 2013]"*

(II). Clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 8 shall be substituted as below-

"The applicant's minimum holding of assets under custody on the date of application shall be as defined under the selection process."

SUPRATIM BANDYOPADHYAY, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./267/2021-22]

Footnote:

1. The Principal Regulations, the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Custodian of Securities) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 14th May, 2015 *vide* notification No. PFRDA/12/RGL/10.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2021.09.23 12:42:37 +05'30'